...य उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज भोलासिंह बनाम प्रतापसिंह मु. सं. 74/17	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 29–05–2018

आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प खौचपुरी पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करते हुये ग्राम खोहरी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 202 रकबा 0.32 हेक्टयर के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की भूमि है गैरसायलान बदमाश किस्म के व्यक्ति है जो सायल के हिस्सा की आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है तथा निर्माण करने पर उतारू है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की भूमि है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में पक्का निर्माण करना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कर लिया गया तो वाद का महत्व ही समाप्त हो जावेगा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबंद करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम खोहरी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 202 रकबा 0.32 हेक्टयर के मौके की स्थिति यथवत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार हो व शामिल मूल वाद रहे।

आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)
कैम्प खौंचपुरी